आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

२२.२.२२

नामांतरण अपील वाद सं0 2/2016-17

रामपति सिंह वगैरह प्रति शिवनाथ राम वगैरह

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद अपीलार्थीगण के द्वारा विविध वाद सं0 12/1985-86 में दिनांक 10.02.1986 को पारित आदेश के विरूद्व अंचल धुरकी मौजा केतमा खाता सं0 1/24 प्लौट सं0 617/1138 रकबा 2.00 एकड़ भूमि पर अपील वाद दायर किया गया। विपक्षी उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर दाखिल किया गया तत्पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अंचल धुरकी मौजा केतमा खाता सं0 1/24 प्लौट सं0 617/1138 रकबा 2.00 एकड़ भूमि से संबधित है। जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक भूमि दर्ज था जिसका बहुत बड़ा रकबा है। अपीलार्थी के दादा नन्हकु सिंह अथक परिश्रम करके अपील वाली भूमि को जंगल-झाड़ी काटकर जोत-कोड़ लायक बनाए, तथा दखल कब्जा में आए तथा जोत-कोड़ कर अपने मसरफ में लाने लगे। जमींदारी उन्मुलन के पश्चात् अपीलार्थी के दादा के नाम से राजस्व पदाधिकारियों द्वारा दखल कब्जा पाकर काबिल लगान केश न0 17/1960-61 के द्वारा माल बांधा गया तथा लगान लेकर लगान रसीद प्राप्त करने लगे अपीलार्थी के दादा के मरने पर उनके पिता दखल कब्जे में आए तथा अपीलार्थीगण उक्त भूमि के दखल कब्जे में है। अपील वाली भूमि का मांग अपीलार्थी के दादा के नाम से मांगपंजी 2 के पेज न0 48 पर चलता है। अपीलार्थी हक्का कर्मचारी के पास अपनी भूमि का लगान रसीद कटाने गए तो पता चला कि उनकी भूमि का लगान रसीद कर्मचारी के कथनानुसार प्रत्यर्थीगण के नाम से चलता है। तथा अपीलार्थी के नाम से मांगपंजी 2 के पेज न0 48 पर चलता है। अपीलार्थी अपील वाली भूमि का अंचल अधिकारी धुरकी के पास सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया जो तौयार होकर अपीलार्थी को दिनांक 01.08.2016 को प्राप्त हुआ। इसके बाद अपीलार्थी अपने वकील के पास मनसौदा तैयार करने के लिए सम्पूर्ण कागजात के साथ आया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता आज तिथि को अपील का मनसौदा तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर रहा है। विद्वान अंचल अधिकारी, धुरकी के विविध वाद सं0 12/1985-86 में पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है। तथा अपीलार्थी के जमाबंदी को मांगपंजी 2 के पेज न0 48 पर चल रहे जमाबंदी में अपील वाली भूमि दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अंचल धुरकी मौजा केतमा खाता सं0 1/24 प्लौट सं0 617/1138 रकबा 2.00 एकड़ भूमि अपीलार्थी के दादा नन्हकु सिंह के नाम काबिल लगान द्वारा माल बंधा था। जिसमें 10.24एकड़ भूमि पर ही अपीलार्थी का दखल कब्जा था।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

शेष 2.00 एकड़ भूमि प्रत्यर्थी ने जंगल झाड़ी साफ कर खेती लायक बनाया जिस पर अपीलार्थी का दखल कब्जा नहीं है। जिसके लिए अपीलार्थी ने अंचल कार्यालय में दिनांक 01.10.1985 को आवेदन दिया कि काबिल लगान केश न0 17/1960-61 से जो माल 12.24 एकड़ का बंधा गया है। जिसमें 2.00 एकड़ भूमि पर मेरा जोत-कोड़ नहीं है। जिसके लिए अंचल अधिकारी धुरकी ने विविध वाद सं0 12/1985-86 अभिलेख संधारित कर हल्का कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई जिसमें हल्का कर्मचारी ने दिनांक 07.02.1986 को प्रतिवेदन समर्पित करते हुए प्रतिवेदन किया है कि अपीलार्थी को जीवन यापन हेतु प्रर्याप्त भूमि है तथा अपीलार्थी के पास 10.24 एकड़ भूमि बचती है। अपीलार्थी इस प्रकार भूमिहीन नहीं है। साथ ही अपीलार्थी की रैयती भूमि नहीं है। तथा यह ममला हस्तांतरण का नहीं है। इस प्रकार C.N.T. Act में बाधक नहीं है। क्योंकि यह मामला मांग सुधार का है। जिसमें गाँव की व्यक्तियों के सामने ब्यान दिया है। यदि अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी, धुरकी के समक्ष प्रत्यर्थीगण के पत्र में दिए गए ब्यान एवं आवेदन पत्र खारिज योग्य है। क्योंकि अपीलार्थी ने गाँव के दुसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर 35 वर्षो के बाद अपील लाया है। जो विविध अपील समय सीमा के अन्दर नहीं है तथा विविध अपील स्वीकार योग्य नहीं है। जिस पर अपीलार्थी का क्षणमात्र में भी दखल कब्जा नहीं है। जबकि प्रत्यर्थीगण का अपील की भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। जिसमें लिए प्रत्यर्थी ने अपील वाद की भूमि पर C.N.T. Act की धारा 87 के अन्तर्गत रैभन्यू सूट सं0 196/2007 दायर किया था। जिसमें खाता नया 127/24 प्लौट सं0 1698/617-1138 रकबा 2.00 एकड़ भूमि का खाता शिवनाथ राम वगैरह जो प्रत्यर्थीगण के नाम खाता यथावत बहाल रखा गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित प्रत्युतर तर्क तथा अभिलेख में संलग्न साक्ष्य का अवलोकन किया अवलोकनोपरान्त पाया कि विद्वान अधिकारी, धुरकी के विविध वाद सं0 12/1985-86 में पारित आदेश एवं अभिलेख के साथ आवेदक की लिखित ब्यान एवं धारा 87 में बहाल अमीन का प्रतिवेदन में दखल की पुष्टि से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी शिवनाथ राम वगैरह की दखल कब्जे की भूमि है। अतः वाद में उभय पक्ष के द्वारा दी गई तर्क तथा साक्ष्य के आधार पर विद्वान अंचल अधिकारी, धुरकी के विविध वाद सं0 12/1985-86 में पारित आदेश को यथावत रखते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

22/02/22 — 22/02/22

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, श्री बंशीधर नगर। — भूमि सुधार उपसमाहर्ता, श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.11 16:45:53 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner